इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 08.04.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 3000- 3000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 3000- 3000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.06.2021 को वादिनी पूजा सोनी पत्नी दीपक सोनी निवासिनी मोहल्ला अकालगंज थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि 03 व्यक्तियों द्वारा वादिया के पति दीपक सोनी के साथ मारपीट कर हत्या कर दी गयी है तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 263/2021 धारा 302/34** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार हे0 का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 08.04.2024 को अन्तर्गत धारा 302/34 में मा0 न्यायालय ADJ/स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 3000- 3000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **शशि प्रभा पाल उर्फ गुडिया पत्नी दीपक सोनी निवासी राजा का बाग थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
2. **विमला पत्नी विजय सिंह निवासी राजा का बाग थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
3. **अवधेश कुमार पुत्र राममूर्ती निवासी रावलपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया।**